न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2018 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी लाल गुप्ता
   एफबीओ मैसर्सः– लालजी स्वीट्स, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा।
2. श्री अनिल सेठिया प्रो. मैसर्सः– मिलन मार्केटिंग, पी.एन.बी. के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
3. श्री भुवनेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र व्यास, निवासी धामानी चौक, रामदेव मन्दिर के पास, बीकानेर मैसर्स सेठिया फूड्स, एफ–264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
4. मैसर्स सेठिया फूड्स, एफ–264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: आदेश :– दिनांकः– 27.04.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.10.2016 को दोपहर बाद 04:30 बजे मैसर्स– लालजी स्वीट्स, जवाहर गंज लालसोट जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी लाल गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में 1 किग्रा पैकिंग में पैक रसगुल्ले(उत्तम ताजा) के करीबन 30 टिन पैक आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से चार मूल पैक टिन नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 480 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक रसगुल्ले(उत्तम ताजा) के पैकिट पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1511 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.10.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.10.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.10.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ले(उत्तम ताजा) का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3182/एक्ट/2016/854 दिनांक 17.11.2016 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3182/एक्ट/2016/854 दिनांक 17.11.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ले(उत्तम ताजा) के लेबल पर **"Best before 6 months from date of manufacture"** प्रिन्ट किया गया है। जिसके स्थान पर **"BEST BEFORE 6 MONTHS FROM PACKAGING/MANUFACTURE"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में खाद्य पदार्थ के लेबल पर संशोधन किया जाकर लेबल की प्रति जवाब के संलग्न होना अंकित किया गया है किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र के साथ लेबल की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ले(उत्तम ताजा) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ले(उत्तम ताजा) के लेबल पर खाद्य सुरक्षा एक्ट में जो फार्मेट दे रखा है उस अनुसार **"BEST BEFORE 6 MONTHS FROM PACKAGING/MANUFACTURE"** अंकित होना चाहिए था। केवल मात्र नमूने के बेस्ट बिफोर डेट **''THE DATE OF''** लिखने से नमूना मिसब्राण्ड कर दिया गया। उक्त मिसब्राण्डिंग का कोई औचित्य ही नही है। उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा जैसे ही नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी समय नमूने के लेबल को ठीक कर लिया गया। अब नमूने की बेस्ट बिफोर डेट पर से **''THE DATE OF''** हटा लिया गया है। अभियुक्तगण किसी भी तरह के दण्ड के अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3182/एक्ट/2016/ 854 दिनांक 17.11.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ले(उत्तम ताजा) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न संशोधित किये गये लेबल की प्रति भी संलग्न नहीं की गई है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ले(उत्तम ताजा) का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ले (उत्तम ताजा) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी लाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः— लालजी स्वीट्स, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा, अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्री अनिल सेठिया प्रो. **मैसर्सः— मिलन मार्केटिंग, पी.एन.बी. के सामने, संसार** चन्द्र रोड, जयपुर, अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 व 4 श्री भुवनेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र व्यास, निवासी धामानी चौक, रामदेव मन्दिर के पास, बीकानेर मैसर्स सेठिया फूड्स, एफ—264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर पर 11000/—(अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.04.2022 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / दिनांकः— 27.04.2022

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी लाल गुप्ता
   एफबीओ मैसर्सः— लालजी स्वीट्स, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा।
4. श्री अनिल सेठिया प्रो. **मैसर्सः— मिलन मार्केटिंग, पी.एन.बी. के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।**
5. **श्री भुवनेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र व्यास, निवासी धामानी चौक, रामदेव मन्दिर के पास, बीकानेर** मैसर्स सेठिया फूड्स, एफ—264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
6. मैसर्स सेठिया फूड्स, एफ—264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा